राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./ 2300 /जी.एस.
दिनांक 11 सितम्बर,२००३

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-४५६६/सम्बद्धता/२००३ ,दिनांक २२.८.२००३ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,१९७३ की धारा ३७(२) के सम्बन्ध में उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश २००३ द्वारा निर्दिष्ट परन्तुक के अधीन श्री नाथ बाबा महाविद्यालय, इशारी सलेमपुर बलिया को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास भूगोल एवं गृह विज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००३ से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश २००३ द्वारा मूल अधिनियम १९७३ की धारा ३७(२) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

[illegible] आकत कामयों की पूति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

३. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-१६(६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है

४. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०,१८-ए,न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
३. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद
४. प्रबन्धक/प्राचार्य, श्री नाथ बाबा महाविद्यालय, इशारी सलेमपुर बलिया

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव